


383



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

नं. - 380 - I 16

पु. क्र. 0 / 16 पुनरीक्षण

एस. के. श्रीवास्तव का

आज दि. 28-1-16 को

पं. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

28-1-16

श्री. कुमार पुत्र रघुवीर प्रसाद
जाति ब्राह्मण, व्यवसाय कृषि,
निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा & बरकापुरा
तहसील गोरमी परगना मेहेगांव जि.
भिण्ड म.प्र.

आवेदक

बनाम

- 1- मध्य प्रदेश शासन
- 2- रामदुलारे पुत्र शंकरलाल जाति
ब्राह्मण आयु 71 वर्ष व्यवसाय कृषि
निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील
गोरमी परगना मेहेगांव जिला भिण्ड
म.प्र.

अनावेदक गण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश श्रीमनीष
श्रीवास्तव नायब तहसीलदार गोरमी
द्वारा अंतिम रूप से निर्णीत एवं दाखिल
रिपोर्ट प. क्र. 148/08-09 बी 121
को अवैध व अनाधिकृत रूप से रीओपिन
करने के आदेश दि. 19-8-15 के
विरुद्ध।
अन्तर्गत धारा 50 & 18 & 8 ग 8 म.प्र.
भू. रा. सं.

श्रीमान जी,

सेवा में आवेदक की ओर से पुनरीक्षण आवेदन पत्र

निम्न भाँति प्रस्तुत है :-

पुनरीक्षण के संक्षिप्त कथन :-

Handwritten signature and date 27/1/16

Handwritten number 3




राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-380-एक/16

जिला- भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-18 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	